

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2021

विषय-कोविड-2019 की संभावित तृतीय लहर हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व के अनेक देशों में कोविड-2019 रोग की तृतीय लहर संसूचित हुई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए भारत वर्ष तथा अपने प्रदेश में भी ऐसी सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सम्भावित तीसरी लहर से निपटने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, लखनऊ, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, बलरामपुर चिकित्सालय एवं लोक बंधु चिकित्सालय, लखनऊ तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित हैं।

2- बाल रोग विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकलन के अनुसार कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर में 0 से 18 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत पूर्व की दो लहरों की तुलना में अधिक हो सकता है, क्योंकि इस आयु वर्ग में अभी तक प्राकृतिक संक्रमण से अथवा टीकाकरण के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई है।

3- कोविड महामारी की संभावित भविष्य की तैयारी के सन्दर्भ में प्रदेश में निर्धारित समय सीमायें (टाइम लाइन) तथा इस क्रम में अभी तक सम्पादित गतिविधियाँ निम्नवत हैं:-

क्रम संख्या	गतिविधि	समय सीमा	वर्तमान स्थिति
1	विशेषज्ञ समूह का गठन	15 मई, 2021	गठित
2	प्रदेश के 75 जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आगामी लहर की तैयारियों हेतु बैठक	20 मई, 2021	सम्पादित
3	रोगियों की संभावित संख्या का आंकलन	20 मई, 2021	पूर्ण
4	इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता का आंकलन	20 मई, 2021	पूर्ण

5	विभिन्न प्रकार के बेड्स की आवश्यकता का आंकलन	20 मई, 2021	पूर्ण
6	0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग हेतु लॉजिस्टिक्स यथा औषधियों, उपकरणों तथा कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता का आंकलन	20 मई, 2021	पूर्ण
7	बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों तथा पैरा चिकित्सा कर्मियों हेतु प्रशिक्षण (यथा स्टाफ नर्सिंग) मॉड्यूल की विषय वस्तु तथा टॉपिक्स का निर्धारण	20 मई, 2021	पूर्ण
8	विभिन्न निर्धारित टॉपिक्स को विकसित करने हेतु विशेषज्ञों का निर्धारण	20 मई, 2021	पूर्ण
9	लॉजिस्टिक हेतु यूपी मेडिकल सप्लाइ कॉरपोरेशन को मांग पत्र प्रेषित किया जाना	23 मई, 2021	प्रक्रियाधीन
10	विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	31 मई, 2021	प्रक्रियाधीन
11	प्रशिक्षण मॉड्यूल के विस्तृत विश्लेषण के उपरांत इसको फाइनल किया जाना	5 जून, 2021	
12	प्रदेश में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना	7 जून, 2021	
13	समस्त जनपदों में विशेषज्ञ समूह द्वारा आकलित संख्याओं के अनुसार ब्लॉक से 0 जनपद तथा मंडल स्तर पर, 18 वर्ष के आयु वर्ग हेतु ऑक्सीजन युक्त तथा एचडीयू बेड्स की उपलब्धता	दिनांक 25 मई, 2021 से प्रारंभ करते हुए दिनांक 25 जून, 2021 तक पूर्ण किया जाना	

4- कोविड महामारी की भविष्य की तैयारी हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तरों के चिकित्सालयों में निम्नवत शैयाएँ उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है -

1- ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय (सामु0स्वा0केन्द्र):-

10 ऑक्सीजन युक्त बेड, 02 एच0डी0यू0 बेड।

प्रत्येक जनपद में 4 ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों, सामु0स्वा0 केन्द्र को कोविड-19 चिकित्सालयों के रूप में सूचित कर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध किए जाने हेतु पूर्व में ही दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। इन पूर्व निर्धारित ब्लॉक स्तरीय कोविड चिकित्सालयों में ही उपलब्ध बेड में से 10 बेड को 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग हेतु आरक्षित करते हुए इन बेड्स पर इस आयु वर्ग के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 02 बेड्स को BIPAP विधि के द्वारा एच0डी0यू0 बेड्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

2- जनपद स्तरीय चिकित्सालय- 20 ऑक्सीजन युक्त बेड, 20 एच0डी0यू0 बेड।

जनपद स्तरीय चिकित्सालय में पूर्व स्थापित इकाइयों में ही 40 बेड 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग हेतु विकसित किए जाएंगे।

3- मंडल स्तरीय चिकित्सालय- 40 ऑक्सीजन युक्त बेड, 40 एचडीयू बेड।

मंडल स्तरीय चिकित्सालयों पर स्थापित चिकित्सा इकाइयों में उपरोक्तानुसार 80 बेड्स 0 से 18 वर्ष की आयु हेतु विकसित किए जाएंगे।

बड़े मंडलीय जनपदों में, जहां एकाधिक बड़े चिकित्सालय भी क्रियाशील हैं, किसी एक चिकित्सालय को पूर्ण रूप से मातृ तथा शिशु कोविड रोग चिकित्सालय के रूप में चिन्हित किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

5- वर्तमान में उपलब्ध समस्त वेंटिलेटर्स 05 कि०ग्रा० से अधिक भार के बच्चों में प्रयोग किये जा सकते हैं, अतः इन वेंटिलेटर्स में से ही उपरोक्तानुसार वेंटिलेटर्स का प्रयोग बाल सघन चिकित्सा इकाइयों के एच०डी०यू०बेड्स पर किया जायेगा। इस हेतु पीडियाट्रिक वेंटिलेटर सर्किट्स तथा अन्य सभी आवश्यक लॉजिस्टिक्स तथा औषधियों की आवश्यकता का आंकलन कर यू०पी० मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

6- समस्त जनपद उपरोक्तानुसार बेड्स की व्यवस्था कर संचालित किये जाने हेतु ब्लाक तथा जनपद स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन (बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, चैस्ट फिजिशियन इत्यादि) का चिन्हीकरण तथा वर्तमान में उपलब्ध समस्त उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित कर लें।

इस हेतु जनपदवार विशेषज्ञों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 22 मई को अपरान्ह 6:00 बजे तक ईमेल आईडी—idspup@gmail.com पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मांगी गयी है।

उपरोक्त व्यवस्थाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएंगी। कुल आंकलित आवश्यक बेड्स की संख्या में से शेष बचे बेड्स की व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सालयों में की जाएगी।


7- बाल रोगियों के अटेंडेंट्स हेतु व्यवस्था : सभी स्तर के चिकित्सालयों में 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में अनेक रोगी इस प्रकार के होंगे जिनके साथ उनके परिवार के सदस्यों का रहना अनिवार्य होगा। अतः सभी स्तर के ऐसे चिकित्सालयों में जहां इन रोगियों को भर्ती किए जाने की व्यवस्था की जा रही हो, अटेंडेंट्स के निवास हेतु भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु टॉयलेट, बेड इत्यादि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूर्ण की जाएंगी, जिस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

8- टेक्नीशियंस की व्यवस्था : कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर के दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु यह भी आवश्यक होगा कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-11फ/2021-22/कैप-6164, दिनांक 8 मई, 2021 के अनुरूप ओ०टी० टेक्नीशियन तथा पत्र संख्या-11फ/2021-22/कैप-6174, दिनांक 9 मई, 2021 के अनुरूप क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन/इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर टेक्नीशियन की व्यवस्था भी सभी जनपद सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित कर लें तथा इसकी सूचना महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त सभी निर्देशों की अनुपालन आख्या महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को ईमेल आईडी—idspup@gmail.com पर प्रेषित की जाए। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं समेकित आख्या प्रतिदिन शासन को उपलब्ध कराएंगे।

कृपया उपरोक्त सभी निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अमित मोहन प्रसाद)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1055(1)/पांच-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०।
7. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।